न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 51/23

1. बाबूसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
2. समुन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. सदाकंवर पत्नि जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गाडसिंह पुत्र जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
3. प्रतापसिंह पुत्र जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
4. भवानीसिंह पुत्र जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
5. मनोहरसिंह पुत्र जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
6. अनोपकंवर पुत्री जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
7. छेलुकंवर पुत्री जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
8. धापुकंवर पुत्री जसुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
9. सायरकंवर पत्नि गंगासिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
10. करणीसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सुमेरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
12. भंवरसिंह पुत्र बलसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
    12/1 सायरकंवर पत्नि भवरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर
    12/2 मांगुसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
    12/3 छेलुसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
    12/4 रणवीरसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर
    12/5 नाबालिग कैलाशसिंह पुत्र भंवरसिंह जरीये अपनी माता सायरकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
    12/6 चन्द्रा पुत्री भवरसिंह जाति राजपुत जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर
13. किरण पत्नि अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
14. कालूसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
15. रामसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
16. विक्रमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
17. हरिसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
18. राजुकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
19. सुमनकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
20. मोहनी पत्नि धनानाथ जाति सिद्व निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
21. गणपतनाथ पुत्र धनानाथ जाति सिद्व निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
22. श्रवणनाथ पुत्र धनानाथ जाति सिद्व निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
23. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कातर बडी जिला चूरू
24. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

26. मोहनकंवर पत्नि कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसीलबीदासर जिलाचूरू
27. राजुसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
28. छोटूकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
29. मंजुकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
30. सुप्यारकंवर पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसीलबीदासर जिलाचूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

31. संतोषकंवर पत्नि तोलुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
32. जितेन्द्रसिंह पुत्र तोलुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
33. निरमाकंवर पुत्री तोलुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
34. पुनमकंवर पुत्री तोलुसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू
35. सुन्दरकंवर पत्नि श्रवणसिंह जाति राजपुत निवासी सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. प्रेमचन्द सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30-1-25

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस व गौण प्रतिवादी संख्या 26 छबीस ता 35 पेंतीस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 110 एक सौ दस तादादी 3.7939 तीन दशमलव सात नौ तीन नौ हेक्टेयर, खसरा संख्या 116 एक सौ सोलह तादादी 4.2240 चार दशमलव दौ दौ चार जीरो हेक्टेयर, खसरा संख्या 199/99 एक सौ निनानवे बट्टा निनानवे तादादी 0.3794 जीरो दशमलव तीन सात नौ चार हेक्टेयर, खसरा संख्या 213/189 दौ सौ तेरह बट्टा एक सौ नियासी तादादी 2.4661 दौ दशमलव चार छः छः एक हेक्टेयर, खसरा संख्या 26 छबीस तादादी 7.8787 सात दशमलव आठ सात आठ सात हेक्टेयर, खसरा संख्या 65 पेंसठ तादादी 4.3630 चार दशमलव तीन छः तीन जीरो हेक्टेयर, खसरा संख्या 94 चौरानवे तादादी 0.4047 जीरो दशमलव चार जीरो चार सात हेक्टेयर, खसरा संख्या 95 पिचानवे तादादी 2.1246 दौ दशमलव एक दौ चार छः हेक्टेयर, खसरा संख्या 99 निनानवे तादादी 1.3911 एक दशमलव तीन नौ एक एक हेक्टेयर कुल किता 9 नौ कुल रकबा 27.0255 सताईस दशमलव जीरो दौ पांच पांच हेक्टेयर वाके रोही ग्राम सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी प्रत्येक की 11053/384660 ग्यारह हजार तरेपन बट्टा तीन लाख चौरासी हजार छः सौ साठ हिस्सा भूमि है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस व गौण प्रतिवादी संख्या 26 छबीस ता 35 पेंतीस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस व गौण प्रतिवादी संख्या 26 छबीस ता 35 पेंतीस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस व गौण प्रतिवादी संख्या 26 छबीस ता 35 पेंतीस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 15.11.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 22 बाईस की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 25 पच्चीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादीगण के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हे वाद में गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम सोनियासर सुखराम तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 व गौण प्रतिवादी संख्या 26 ता 35 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 23 ता 24 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण वकील की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः पक्षकारों का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सोनियासर सुखराम खसरा संख्या 110, 116, 199/99, 213/189, 26, 65, 94, 95, 99 तादादी क्रमशः 3.7939, 4.2240, 0.3794, 2.4661, 7.8787, 4.3630, 0.4047, 2.1246, 1.3911 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 27.0255 हेक्टेयर भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण, गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका सभी खातेदार अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने चाहते है। अतः तहसीलदार बीदासर से वादीगण, प्रतिवादीगण, गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
बाबुसिंह बनाम सदाकंवर आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 51/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सोनियासर सुखराम खसरा संख्या 110, 116, 199/99, 213/189, 26, 65, 94, 95, 99 तादादी कमशः 3.7939, 4.2240, 0.3794, 2.4661, 7.8787, 4.3630, 0.4047, 2.1246, 1.3911 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 27.0255 हेक्टेयर भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण, गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका सभी खातेदार अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने चाहते है। अतः तहसीलदार बीदासर से वादीगण, प्रतिवादीगण, गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....30/1/25..........

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)